NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 04-08-2026

विषय सूची

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026

अंग प्रत्यारोपण हेतु NOTTO ने ई-प्रत्यारोपण पोर्टल लॉन्च किया

एग्रीवोल्टाइक: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) अवसंरचना को सतत रूप से ऊर्जा प्रदान करना

प्रयोगशाला में विकसित हीरे: खनन किए गए हीरों का एक सतत विकल्प

भारत की प्रमुख चाय कंपनियों के सामने सस्ते विकल्पों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा

जीआई टैग: पारंपरिक संपदा को वैश्विक ब्रांड में परिवर्तित करना

संक्षिप्त समाचार

उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026

दिल्ली लक्ष्मी योजना

ग्लॉ झील भारत का 101वाँ रामसर स्थल बनी

भारत ने लगभग सार्वभौमिक बैंकिंग कवरेज हासिल किया

विक्रम साराभाई पदक

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026

सन्दर्भ

- राज्यसभा ने सूक्ष्म, **लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026** पारित कर दिया है।
- **उद्देश्य:** सभी पक्षों के हितों में संतुलन बनाए रखते हुए प्रशासनिक ढाँचे और भुगतान तंत्र में सुधार करना।

विधेयक की प्रमुख विशेषताएँ

- **सीपीएसई के लिए TReDS के माध्यम से भुगतान अनिवार्य:** प्रत्येक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (CPSE) को MSMEs से वस्तुओं या सेवाओं की खरीद से संबंधित सभी चालानों (Invoices) का निपटान ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (TReDS) के माध्यम से करना होगा।
- TReDS भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा विनियमित एक इलेक्ट्रॉनिक मंच है, जो MSMEs को खरीदारों से प्राप्त होने वाले चालानों के आधार पर वित्तदाताओं से धन प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है।
- **मध्यस्थता की समय-सीमा:** विधेयक के अनुसार, प्रथम उपस्थिति के लिए निर्धारित तिथि से 90 दिनों के भीतर मध्यस्थता की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
- **मध्यस्थता-निर्णयन (Arbitration) की समय-सीमा:** मध्यस्थता समाप्त होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर मामले को मध्यस्थता-निर्णयन हेतु भेजा जाना चाहिए। सभी अभिवचनों (Pleadings) के पूरा होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर निर्णय (Award) दिया जाना अनिवार्य होगा।
- **अपराधों का अपराधमुक्तिकरण (Decriminalisation):** विधेयक के अनुसार, पंजीकरण के लिए जानबूझकर गलत जानकारी देने पर निम्न दंड का प्रावधान किया गया है—
- पहली बार उल्लंघन होने पर चेतावनी।
- इसके बाद प्रत्येक उल्लंघन पर **1,000 रुपये से 50,000 रुपये तक का जुर्माना।**
- अधिकारियों द्वारा मांगी गई जानकारी उपलब्ध न कराने पर भी यही दंड लागू होगा।
- संशोधन अधिनियम लागू होने की तिथि से **प्रत्येक तीन वर्ष बाद न्यूनतम जुर्माने की राशि में 10% की वृद्धि** होगी।
- यदि किसी आदेश को निरस्त करने के लिए दायर आवेदन छह माह से अधिक समय तक लंबित रहता है, तो न्यायालय एमएसएमई आपूर्तिकर्ताओं को प्रदान की गई राशि का **कम-से-कम 50% भुगतान** करने का आदेश दे सकेगा।
- **निर्णयन और अपील:** केंद्र सरकार विकास आयुक्त (Development Commissioner) को निर्णयन अधिकारी नियुक्त करेगी।
- निर्णयन अधिकारी के निर्णयों के विरुद्ध अपील एमएसएमई सचिव के समक्ष की जाएगी।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs)

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम(MSMEs) ऐसे व्यवसाय हैं, जिन्हें उनके **निवेश तथा वार्षिक कारोबार (Turnover)** के आधार पर परिभाषित किया जाता है।
- इन्हें अर्थव्यवस्था का एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि ये **रोज़गार सृजित करते हैं, आय उत्पन्न करते हैं तथा उद्यमिता को बढ़ावा देते हैं।**

Classification of MSMEs

Category	Investment in Plant & Machinery/ Equipment	Annual Turnover
Micro Enterprise	Up to ₹ 2.5 crore	Up to ₹ 10 crore
Small Enterprise	Up to ₹ 25 crore	Up to ₹ 100 crore
Medium Enterprise	Up to ₹ 125 crore	Up to ₹ 500 crore

सरकारी पहल

- **एमएसएमई चैंपियंस योजना (MSME Champions Scheme):** इस योजना का उद्देश्य एमएसएमई की विनिर्माण प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण करना, अपव्यय को कम करना, नवाचार को प्रोत्साहित करना, व्यावसायिक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना तथा उन्हें राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर पहुँच एवं उत्कृष्टता प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना है।
- **उद्यम पंजीकरण (Udyam Registration):** यह एमएसएमई के पंजीकरण को सरल बनाने हेतु एक ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य एमएसएमई को सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले विभिन्न लाभों एवं प्रोत्साहनों का सरल और सुव्यवस्थित ढंग से लाभ प्राप्त करने में सहायता करना है।
- **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (MSMED) अधिनियम, 2006 की धारा 15** तथा **आयकर अधिनियम की नव-अधिनियमित धारा 43B(h)** के अनुसार, व्यवसायों

को एमएसएमई-पंजीकृत उद्यमों का भुगतान 15 दिनों के भीतर करना होगा, अथवा यदि दोनों पक्षों के बीच समझौता हो तो अधिकतम 45 दिनों के भीतर भुगतान करना अनिवार्य है।

- **सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास (CGTMSE):** यह योजना ऋण गारंटी तंत्र के माध्यम से सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बिना संपार्श्विक (Collateral-free) ऋण उपलब्ध कराती है।
- **पारंपरिक उद्योगों के पुनरुत्थान हेतु निधि योजना (SFURTI):** यह योजना वर्ष 2005-06 में प्रारंभ की गई थी। इसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों को समूहों (Clusters) में संगठित कर उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना, उत्पाद विकास को प्रोत्साहित करना तथा सतत आय सृजन सुनिश्चित करना है।

आगे की राह

- एमएसएमई नवाचार को बढ़ावा देकर, रोजगार सृजित कर तथा स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाकर भारत की विकास यात्रा में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहे हैं।
- लक्षित ऋण सहायता, आवश्यक सुधारों तथा अनुपालन प्रक्रियाओं के सरलीकरण के माध्यम से एमएसएमई की समस्याओं का समाधान उनके लचीलेपन (Resilience) को मजबूत करेगा, रोजगार की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा तथा भारत के विनिर्माण और निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र को और सुदृढ़ बनाएगा।

स्रोत: TH

अंग प्रत्यारोपण हेतु NOTTO द्वारा ई-प्रत्यारोपण पोर्टल लॉन्च

सन्दर्भ

- राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (NOTTO) ने भारत में अंगदान और अंग प्रत्यारोपण के लिए एकीकृत डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने हेतु ई-प्रत्यारोपण पोर्टल तथा NOTTO मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया है।

ई-प्रत्यारोपण पोर्टल का परिचय

- पूर्व व्यवस्था के विपरीत, जिसमें अस्पताल अपने-अपने प्रत्यारोपण संबंधी आँकड़ों का अलग-अलग रखरखाव करते थे, नया ई-प्रत्यारोपण पोर्टल अस्पतालों, राज्य प्राधिकरणों और NOTTO को जोड़ने वाला एक साझा डिजिटल मंच उपलब्ध कराता है।
- रोगी अपनी पसंद के अस्पताल के माध्यम से ही प्रत्यारोपण के लिए पंजीकरण कराते रहेंगे। अस्पतालों, राज्य सरकारों और NOTTO को पोर्टल पर सुरक्षित पहुँच प्राप्त होगी, जहां प्रत्यारोपण केंद्र सीधे प्राप्तकर्ताओं (Recipients) का विवरण अपलोड कर सकेंगे।
- अपलोड की गई जानकारी के आधार पर यह पोर्टल अस्पताल, राज्य, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर स्वतः प्रतीक्षा सूची (Waiting List) तैयार करता है, जिससे वास्तविक समय (Real Time) में अंगों का मिलान और आवंटन संभव हो सके।
- यह मंच अंगों के आवंटन और परिवहन की प्रत्येक प्रक्रिया का रिकॉर्ड भी रखता है, जिससे पहले प्रत्यारोपण समन्वयकों के बीच फोन कॉल और संदेशों पर आधारित अधिकांश मैनुअल समन्वय की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
- अस्पताल और राज्य प्राधिकरण गंभीर रूप से बीमार रोगियों के लिए, जिन्हें तत्काल प्रत्यारोपण की आवश्यकता हो, इस पोर्टल के माध्यम से "सुपर अर्जेंट" अनुरोध भी भेज सकते हैं।

भारत में अंग प्रत्यारोपण

- अंग प्रत्यारोपण एक शल्य चिकित्सा प्रक्रिया है, जिसमें किसी व्यक्ति के शरीर से कोई अंग, ऊतक अथवा कोशिकाओं का समूह निकालकर दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रत्यारोपित किया जाता है।
- एक मृत दाता (Deceased Donor) हृदय, फेफड़े, यकृत, गुर्दे, अग्न्याशय तथा आँतों का दान करके **आठ लोगों तक का जीवन बचा** सकता है।
- निर्धारित चिकित्सीय एवं कानूनी शर्तों के अधीन **जीवित तथा मृत दोनों प्रकार के व्यक्ति अंगदान** कर सकते हैं।
- अंग प्रत्यारोपण की संख्या के आधार पर **संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन** के बाद भारत विश्व में **तीसरे स्थान** पर है।

Organ transplants in India in 2025

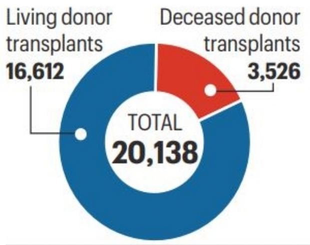

Kidney transplants	14,477
Liver transplants	5,154
Heart transplants	239
Lung transplants	210
Pancreas transplants	35

SOURCE: NOTTO ANNUAL REPORT

राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (NOTTO)

- यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत **स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय** (Directorate General of Health Services - DGHS) के अधीन स्थापित **एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन** है।
- कार्य: यह **नीतिगत दिशा-निर्देश तैयार** करता है, प्रशिक्षण आयोजित करता है, प्रत्यारोपण गतिविधियों की निगरानी करता है, **राष्ट्रीय डाटाबैंक का रखरखाव** करता है तथा **अंतर-क्षेत्रीय अंग आवंटन का समन्वय** करता है।

भारत में अंग प्रत्यारोपण से संबंधित कानून एवं नियम

- **मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 :** यह भारत में अंगदान एवं अंग प्रत्यारोपण से संबंधित प्रमुख कानून है, जिसका उद्देश्य चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए **मानव अंगों को निकालने, सुरक्षित रखने तथा प्रत्यारोपित करने का विनियमन करना** तथा मानव अंगों के व्यावसायिक लेन-देन को रोकना है।
- यह **ब्रेनस्टेम मृत्यु (Brainstem Death - BSD) को मृत्यु की कानूनी परिभाषा** के रूप में मान्यता देता है तथा उसके प्रमाणीकरण की प्रक्रिया निर्धारित करता है।
- **मानव अंग प्रत्यारोपण (संशोधन) अधिनियम, 2011:** यह अंगों के आदान-प्रदान (Swapping of Organs) की अनुमति देता है तथा दाता सूची में दादा-दादी एवं नाना-नानी तथा पोते-पोतियों एवं नाती-नातिनों को शामिल कर दाताओं के दायरे का विस्तार करता है।
- **मानव अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण नियम (THOT), 2014:** इसमें अंगदान में आने वाली बाधाओं को दूर करने तथा नियमों के दुरुपयोग एवं गलत व्याख्या पर रोक लगाने के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं।

सरकारी पहल

- **राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम (NOTP):** सरकार प्रत्यारोपण अवसंरचना के उन्नयन, प्रत्यारोपण समन्वयकों की नियुक्ति, मृत दाताओं के अंतिम संस्कार, अंगों के परिवहन एवं सफल प्रत्यारोपण तथा स्वास्थ्यकर्मियों के क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- **राष्ट्रीय आरोग्य निधि (RAN):** आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के रोगियों को अंग प्रत्यारोपण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- **जुग-जुग जियो अभियान:** यह एक वर्ष तक चलने वाला राष्ट्रीय अभियान है, जिसे अंगदाताओं एवं उनके परिवारों को सम्मानित करने तथा पूरे देश में अंगदान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है।

अंगदान से संबंधित तथ्य

- **13 अगस्त** को प्रतिवर्ष **विश्व अंगदान दिवस** मनाया जाता है, ताकि अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके।
- भारतीय अंगदान दिवस पहले **प्रत्येक वर्ष 27 नवंबर** को मनाया जाता था, **किंतु 2023 से इसे 3 अगस्त** को मनाया जाने लगा है। यह **3 अगस्त 1994** को भारत में हुए **पहले सफल मृत हृदय प्रत्यारोपण की स्मृति में** मनाया जाता है।
- NOTTO ने **जुलाई** को अंगदान माह घोषित किया है।

चुनौतियाँ

- **मांग एवं आपूर्ति का अंतर:** प्रतिवर्ष एक लाख से अधिक रोगियों को गुर्दा प्रत्यारोपण की आवश्यकता होती है, जबकि केवल लगभग 15,000 प्रत्यारोपण ही किए जा पाते हैं।
- **मृत व्यक्तियों द्वारा अंगदान की कम दर:** सांस्कृतिक मान्यताएँ, जागरूकता की कमी तथा सीमित सहमति मृत व्यक्तियों द्वारा अंगदान को सीमित करती हैं।
- **लैंगिक असमानता:** ब्रिटिश मेडिकल जर्नल के विश्लेषण के अनुसार, 2018–2023 के बीच 56,509 जीवित अंगदानों में से 36,038 महिलाओं द्वारा किए गए, जबकि अंग प्राप्त करने वालों में महिलाओं की संख्या केवल 17,041 रही।
- **अन्य चिंताएँ:**
  - **अवसंरचना की कमी:** अनेक सरकारी अस्पतालों में प्रत्यारोपण आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर तथा एचएलए (HLA) प्रयोगशालाओं का अभाव है। आईसीयू बिस्तरों की कमी के कारण ब्रेन-डेड दाताओं का उचित संरक्षण प्रभावित होता है।
  - **मानव संसाधन की कमी:** प्रशिक्षित प्रत्यारोपण शल्य चिकित्सकों, नेफ्रोलॉजिस्ट तथा प्रत्यारोपण समन्वयकों की कमी है। अधिकारियों के बार-बार स्थानांतरण से प्रत्यारोपण कार्यक्रमों की निरंतरता प्रभावित होती है।
  - **वित्तीय बाधाएँ:** जीवनभर प्रतिरक्षा-दमनकारी (Immunosuppressant) दवाओं की उच्च लागत तथा पहले वर्ष के बाद सीमित प्रत्यारोपणोत्तर सहायता।
  - **आँकड़ों एवं निगरानी की कमी:** अस्पतालों द्वारा असंगत रिपोर्टिंग तथा दाता-प्राप्तकर्ता परिणामों की केंद्रीकृत निगरानी का अभाव।
  - **नैतिक एवं कानूनी चिंताएँ:** अंगों की तस्करी एवं व्यावसायिक प्रत्यारोपण के मामले अभी भी सामने आते हैं; राज्यों में कानूनों की असंगत व्याख्या तथा उल्लंघनों पर दंडात्मक प्रावधानों का कमजोर प्रवर्तन।

आगे की राह

- सभी राज्यों में पारदर्शिता एवं समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए एक समान राष्ट्रीय अंग आवंटन नीति विकसित की जाए।
- स्वैच्छिक मृत अंगदान को बढ़ावा देने तथा भ्रांतियों को दूर करने के लिए निरंतर जन-जागरूकता अभियान चलाए जाएँ।
- विशेष रूप से वंचित क्षेत्रों में प्रत्यारोपण अवसंरचना का विस्तार किया जाए तथा मानव संसाधनों को सुदृढ़ बनाया जाए।
- वास्तविक समय में अंग आवंटन, निगरानी एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ई-प्रत्यारोपण पोर्टल जैसे डिजिटल मंचों का व्यापक उपयोग किया जाए।

- अवैध अंग व्यापार पर रोक लगाने के लिए मानव अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।
- भारत के अंगदान पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ बनाने हेतु अनुसंधान, परिणामों की निगरानी तथा क्षमता निर्माण को बढ़ावा दिया जाए।

स्रोत: IE

एग्रीवोल्टाइक: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) अवसंरचना को सतत ऊर्जा

सन्दर्भ

- **विशाखापत्तनम** में प्रस्तावित **गूगल AI डेटा सेंटर** ने **एग्रीवोल्टाइक (Agrivoltaics) की अवधारणा** को AI अवसंरचना की बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए एक सतत समाधान के रूप में चर्चा के केंद्र में ला दिया है।

पृष्ठभूमि

- गूगल ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में **1 गीगावाट (GW)** क्षमता वाले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) डेटा सेंटर की स्थापना के लिए **15 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश की घोषणा** की है।
- एआई डेटा सेंटरों को **सर्वर, शीतलन (Cooling) प्रणालियों तथा डिजिटल अवसंरचना के संचालन के लिए अत्यधिक मात्रा में विद्युत की आवश्यकता** होती है।
- यदि यह मांग वर्तमान विद्युत ग्रिड से पूरी की जाती है, तो इससे विद्युत आपूर्ति पर दबाव बढ़ सकता है, कृषि एवं घरेलू उपयोग के लिए बिजली की उपलब्धता कम हो सकती है तथा जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत उत्पादन पर निर्भरता बढ़ सकती है।

एग्रीवोल्टाइक क्या है?

- एग्रीवोल्टाइक, जिसे **एग्री-फोटोवोल्टाइक (Agri-Photovoltaics - APV)** भी कहा जाता है, एक ऐसी भूमि उपयोग प्रणाली है, जिसमें एक ही भूमि पर एक साथ कृषि गतिविधियाँ और सौर ऊर्जा उत्पादन किया जाता है।
- इस प्रणाली के अंतर्गत सौर पैनलों को लगभग **10–12 फीट की ऊँचाई** पर स्थापित किया जाता है, जिससे उनके नीचे खेती की गतिविधियाँ निरंतर जारी रह सकें।
- इस प्रकार एक ही भूमि से खाद्यान्न तथा नवीकरणीय ऊर्जा दोनों का उत्पादन होता है, जिससे भूमि उपयोग दक्षता तथा किसानों की आय में वृद्धि होती है।
- **सरकारी समर्थन: पीएम-कुसुम (प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान) विकेन्द्रीकृत सौर ऊर्जा उत्पादन तथा कृषि के सौरकरण को बढ़ावा देता** है।
- एग्रीवोल्टाइक, खेती योग्य भूमि को कम किए बिना किसानों को बिजली उत्पादन की सुविधा देकर पीएम-कुसुम योजना का पूरक बन सकता है।

महत्त्व

- **किसानों के लिए दोहरी आय:** किसानों को फसल से होने वाली आय के साथ-साथ भूमि पट्टे (Lease) अथवा बिजली बिक्री से भी आय प्राप्त होती है, जिससे ग्रामीण आय की स्थिरता बढ़ती है।
- **उदाहरण** के लिए, राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान (NIWE) तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे की पायलट एग्रीवोल्टाइक परियोजनाओं में छाया-सहिष्णु फसलों की उत्पादकता में लाभ देखा गया है।
- **सूक्ष्म जलवायु (Microclimate) के लाभ:** सौर पैनल आंशिक छाया प्रदान करते हैं, जिससे वाष्पोत्सर्जन (Evapotranspiration) तथा मिट्टी की नमी की हानि कम होती है। इससे जल-संकटग्रस्त क्षेत्रों को लाभ मिलता है तथा जलवायु अनुकूलन क्षमता बढ़ती है।
- **रणनीतिक क्षेत्रों की ऊर्जा सुरक्षा:** यह IndiaAI Mission के अंतर्गत भारत की एआई आत्मनिर्भरता की दिशा में सतत ऊर्जा आधारित संगणन (Compute) अवसंरचना उपलब्ध कराता है तथा जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत ग्रिड पर निर्भरता कम करता है।
- **भूमि उपयोग दक्षता:** अनुसंधानों से संकेत मिलता है कि एग्रीवोल्टाइक प्रणाली, केवल सौर ऊर्जा अथवा केवल कृषि की तुलना में अधिक संयुक्त भूमि समतुल्य अनुपात (Land Equivalent Ratio) प्रदान कर सकती है।
- **जलवायु प्रतिबद्धताओं के अनुरूप:** यह भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) तथा 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक है।

चुनौतियाँ

- पारंपरिक भूमि-आधारित सौर परियोजनाओं की तुलना में ऊँचे ढाँचों (Elevated Mounting Structures) के कारण **उच्च पूंजीगत लागत।**
- फसल चयन की सीमाएँ, क्योंकि सभी फसलें आंशिक छाया में नहीं उग सकतीं। इससे हल्दी, अदरक एवं हरी सब्जियों जैसी छाया-सहिष्णु फसलों तक इसकी उपयोगिता सीमित हो सकती है।
- **ग्रिड एकीकरण की समस्या**, क्योंकि सौर ऊर्जा उत्पादन अनिश्चित होता है। AI कार्यभार को निरंतर ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए मजबूत भंडारण एवं संचरण अवसंरचना की आवश्यकता होती है।

- **भूमि स्वामित्व एवं किसानों की सहमति से जुड़े मुद्दे**, क्योंकि बड़े कॉर्पोरेट परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण विस्थापन जैसी समस्याएँ उत्पन्न कर सकता है।

आगे की राह

- **एक राष्ट्रीय एग्रीवोल्टाइक रणनीति** तैयार की जाए, जिसमें छाया-अनुकूल फसलों के चयन के मानदंड, वैकल्पिक भूमि पट्टा मॉडल तथा किसानों को लाभ में भागीदारी के विकल्प शामिल हों।
- ऐसी **समावेशी योजना** सुनिश्चित की जाए, जो किसानों के भूमि अधिकारों की रक्षा करते हुए भारत को AI-आधारित डिजिटल विकास तथा जलवायु-अनुकूल ऊर्जा संक्रमण—दोनों लक्ष्यों की प्राप्ति में सक्षम बनाए।

स्रोत: IE

प्रयोगशाला में विकसित हीरे: खनन किए गए हीरों का एक सतत विकल्प

सन्दर्भ

- प्रयोगशाला में विकसित हीरे (Lab-grown Diamonds), **खनन किए गए प्राकृतिक हीरों के एक सतत विकल्प के रूप में उभर रहे हैं।**

परिचय

- विश्व की कुछ सबसे बड़ी हीरा खदानें, जैसे **ऑस्ट्रेलिया की आर्गाइल (Argyle) खदान तथा कनाडा की डायाविक (Diavik) खदान**, हाल के वर्षों में लगभग समाप्ति (Exhaustion) की स्थिति में पहुँच गई हैं।
- यह कमी वर्ष-दर-वर्ष बढ़ती गई है और वर्तमान में हीरा उत्पादन कई दशकों के सबसे निम्न स्तर पर पहुँच गया है।
- अनुमान है कि **वैश्विक उत्पादन का 90% प्रदान करने वाली 40 हीरा खदानों, जो बोत्सवाना, रूस तथा अन्य देशों में स्थित** हैं, की शेष आयु 50 वर्ष से अधिक नहीं है।

हीरा खनन से जुड़ी चिंताएँ

- **पर्यावरणीय चिंताएँ**: हीरा खनन में अत्यधिक मात्रा में जल एवं ऊर्जा की आवश्यकता होती है तथा इससे आसपास के पारिस्थितिकी तंत्र को गंभीर क्षति पहुँचती है।
- यह प्रायः वनों की कटाई, विस्थापन, मृदा अपरदन तथा जल प्रदूषण से जुड़ा होता है।
- विशाल खुली खदानों (Open-pit Excavations) के कारण भूस्खलन एवं मिट्टी के धंसाव (Mudslides) का भी खतरा बढ़ जाता है।
- स्वास्थ्य संबंधी जोखिम: हीरा खदानों में कार्य करने वाले श्रमिक अनेक प्रकार की बीमारियों से प्रभावित होते हैं।
- वर्ष 2011 के एक अध्ययन के अनुसार, श्रमिकों में एस्बेस्टस (Asbestos) के संपर्क का जोखिम होता है, जिससे एस्बेस्टोसिस (Asbestosis), प्ल्यूरल प्लाक (Pleural Plaques) तथा मेसोथेलियोमा (Mesothelioma) जैसी बीमारियाँ हो सकती हैं।
- **ब्लड डायमंड (Blood Diamonds):** ये ऐसे खनन किए गए हीरे हैं, जिनकी अवैध बिक्री से प्राप्त धन का उपयोग सशस्त्र संघर्ष एवं सैन्य गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए किया जाता है। किसी हीरे की भौगोलिक उत्पत्ति का पता लगाना लगभग असंभव होता है।
- यद्यपि संघर्ष-मुक्त हीरों के सत्यापन हेतु **किम्बरली प्रक्रिया (Kimberley Process)** प्रारंभ की गई थी, फिर भी नियामकीय कमियों के कारण ब्लड डायमंड की तस्करी अब भी जारी है।
- **कार्बन पदचिह्न (Carbon Footprint):** कोयला-आधारित विद्युत ग्रिड से निर्मित हीरों में कार्बन उत्सर्जन अधिक होता है, जबकि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से निर्मित हीरों का कार्बन पदचिह्न अपेक्षाकृत बहुत कम होता है।

विकल्प के रूप में प्रयोगशाला में विकसित हीरे

- प्रथम प्रमाणित कृत्रिम हीरों का निर्माण जनरल इलेक्ट्रिक (GE) ने **1954 में "प्रोजेक्ट सुपरप्रेशर"** के अंतर्गत किया था।
- इसमें उच्च दाब–उच्च तापमान (HPHT) प्रक्रिया का उपयोग किया गया, जो पृथ्वी के मैंटल में प्राकृतिक हीरों के निर्माण की परिस्थितियों की नकल करती है।
- प्रयोगशाला में विकसित हीरे रासायनिक, भौतिक तथा प्रकाशीय (Optical) गुणों की दृष्टि से प्राकृतिक हीरों के समान होते हैं।
- **संघटन (Composition)**: शुद्ध कार्बन।
- **क्रिस्टलीय संरचना**: प्राकृतिक हीरों के समान घनीय (Cubic) क्रिस्टल जालक।
- इनका निर्माण मुख्यतः **रासायनिक वाष्प निक्षेपण (Chemical Vapour Deposition - CVD)** तथा **उच्च दाब–उच्च तापमान (HPHT) तकनीकों** से किया जाता है।
- **HPHT (उच्च दाब–उच्च तापमान)**
  - यह पृथ्वी के मैंटल जैसी परिस्थितियों का अनुकरण करती है।
  - इसमें कार्बन को अत्यधिक दाब एवं तापमान के अधीन रखकर हीरे का निर्माण किया जाता है।
- **CVD (रासायनिक वाष्प निक्षेपण)**
  - मीथेन जैसी कार्बन-समृद्ध गैस को निर्वात (Vacuum) कक्ष में विघटित किया जाता है।

NEXT IAS

- कार्बन परमाणु डायमंड सीड क्रिस्टल (Diamond Seed Crystal) पर परत-दर-परत जमा होते जाते हैं।

प्राकृतिक हीरों से अंतर

- प्राकृतिक हीरों में नाइट्रोजन की अल्प मात्रा पाई जाती है, जबकि प्रयोगशाला में विकसित हीरे नाइट्रोजन-मुक्त होते हैं।
- प्रयोगशाला में विकसित हीरे पर्यावरण-अनुकूल एवं संघर्ष-मुक्त (Conflict-free) होते हैं। खनन किए गए हीरों के विपरीत, जिनके लिए लगभग 250 टन मिट्टी हटानी पड़ती है और ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन होता है, ये कम जल एवं ऊर्जा का उपयोग करते हैं।

प्रयोगशाला में विकसित हीरों का बाज़ार

- 2024 तक विश्व के लगभग 90% हीरों का प्रसंस्करण भारत में होता है, जो मूल्य के आधार पर वैश्विक कारोबार का लगभग 75% है।
- अनुमान है कि 2024 में वैश्विक हीरा बाज़ार में 12% हिस्सेदारी रखने वाला प्रयोगशाला में विकसित हीरों का बाज़ार 2029 तक बढ़कर 16% हो जाएगा।

Table 1: presents a comparison of natural and lab-grown diamonds, drawing on findings from the Natural Diamond Council's 2025 report and a 2021 study by Vladislav Zhdanov et al

Criterion	Natural diamonds	Lab-grown diamonds
Cost per carat in India	₹1.5–7 lakhs	₹80,000
Water consumption	0.077 m^3/ct	0–0.002 m^3/ct
Energy consumption	150 kWh/ct (DeBeers)	36 kWh/ct (HPHT) 214.7 kWh/ct (MP-CVD)
CO2 emissions	160 kg/ct	17-260 kg/ct

Diamond prices vary based on the 4Cs — carat, cut, colour and clarity. The values shown are representative market ranges.

निष्कर्ष

- प्रयोगशाला में विकसित हीरे **संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के अनुरूप** हैं, जो स्वच्छ ऊर्जा प्रणालियों की ओर संक्रमण तथा अधिक सतत विनिर्माण प्रक्रियाओं पर बल देते हैं।
- इसके अतिरिक्त, **हीरा उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग परिपत्र अर्थव्यवस्था (Circular Economy)** के सिद्धांतों को भी सुदृढ़ करता है, जिसमें संसाधनों का अधिक दक्षता से उपयोग किया जाता है तथा उत्पाद के पूरे जीवनचक्र में पर्यावरणीय प्रभावों को न्यूनतम रखा जाता है।

स्रोत: TH

भारत की प्रमुख चाय कंपनियों के सामने सस्ते विकल्पों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा

सन्दर्भ

- भारत का **चाय उद्योग लगभग 15 अरब रुपये** का उद्योग है। भारत आज भी विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक और उपभोक्ता है, किंतु यह उद्योग सस्ते विकल्पों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है।

यह दबाव क्यों बढ़ रहा है?

- **उत्पादकों को मिलने वाली कीमतों में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई:** पिछले एक दशक में श्रम, उर्वरक, ऊर्जा तथा अन्य आवश्यक इनपुट की लागत 9% से 15% तक बढ़ गई है, जबकि चाय की कीमतों में केवल लगभग 4% की ही वृद्धि हुई है।
- **प्रीमियम बाजारों में सस्ते विकल्पों की बढ़ती भूमिका:** नेपाल की कम लागत वाली चाय ने दार्जिलिंग चाय की मांग को प्रभावित किया है। वहीं, असम में लगभग 250 रुपये प्रतिदिन की कम मजदूरी के कारण नई पीढ़ी बागान कार्य से दूर होती जा रही है।
- **नियामकीय प्रावधानों से लागत में वृद्धि:** अवशेष (Residue) मानकों का पालन करने तथा भारत की निर्यात विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए 20 कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाया गया है। इससे उत्पादकों को अधिक महंगे विकल्प अपनाने पड़े हैं, जिससे पहले से कम लाभांश (Margins) पर और दबाव बढ़ गया है।
- **उपभोक्ताओं की पसंद में बदलाव:** युवा, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक तथा शहरी उपभोक्ता अब कॉफी, रेडी-टू-ड्रिंक चाय, ऊर्जा पेय तथा हर्बल पेय की ओर अधिक आकर्षित हो रहे हैं।
- **आपूर्ति अभी भी मांग से अधिक है:** कम खपत की तुलना में अधिक उत्पादन होने के कारण चाय की कीमतों पर लगातार दबाव बना हुआ है।

आगे की राह

- नीलामी-आधारित खरीद प्रणाली को अधिक सख्ती से लागू किया जाए, ताकि उत्पादकों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके।
- पुराने चाय पौधों के कारण घटती उत्पादकता को देखते हुए पुनरोपण (Replantation) में निवेश बढ़ाया जाए।
- बदलती उपभोक्ता मांग को ध्यान में रखते हुए इंस्टैंट चाय, स्वास्थ्यवर्धक पेय तथा नए उत्पाद प्रारूपों को प्रोत्साहित किया जाए।
- श्रीलंका द्वारा खोए जा रहे बाजार पर शीघ्रता से कब्जा करने के लिए उच्च गुणवत्ता एवं मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित किया जाए।

- छोटे चाय उत्पादकों को कृषि क्षेत्र की योजनाओं की तर्ज पर लक्षित सहायता प्रदान की जाए, ताकि चाय बागानों का बंद होना सामान्य स्थिति न बन जाए।

भारत का चाय उद्योग: प्रमुख तथ्य

- भारत में चाय की व्यावसायिक खेती ब्रिटिश शासन द्वारा 1830 के दशक में असम में शुरू की गई थी।
- दार्जिलिंग चाय भारत का पहला उत्पाद था, जिसे 2004–05 में भौगोलिक संकेतक (GI) टैग प्राप्त हुआ।
- भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है तथा इसका पुनर्गठन प्रत्येक तीन वर्ष में किया जाता है। यह लाइसेंसिंग, निर्यात संवर्धन, अनुसंधान वित्तपोषण तथा कल्याणकारी योजनाओं का संचालन करता है।
- भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक और उपभोक्ता तथा तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। निर्यात में केन्या (जो अपने अधिकांश उत्पादन का निर्यात करता है) तथा चीन उससे आगे हैं।
- असम, पश्चिम बंगाल (डुआर्स, तराई एवं दार्जिलिंग), तमिलनाडु तथा केरल मिलकर देश के कुल चाय उत्पादन का लगभग 96% योगदान देते हैं, जिसमें अकेले असम का योगदान 50% से अधिक है।
- भारत में उत्पादित चाय का लगभग 80% देश के भीतर ही उपभोग किया जाता है। भारत 25 से अधिक देशों को चाय का निर्यात करता है, जिनमें रूस, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), संयुक्त राज्य अमेरिका (USA), यूनाइटेड किंगडम (UK) तथा जर्मनी प्रमुख आयातक हैं।

स्रोत: TH

जीआई टैग: पारंपरिक संपदा को वैश्विक ब्रांड में परिवर्तित करना

सन्दर्भ

- भौगोलिक संकेतक (GI) टैग भारत की **सांस्कृतिक विरासत की रक्षा** करने के साथ-साथ **स्थानीय समुदायों के लिए आर्थिक अवसर सृजित** करने का एक प्रभावशाली साधन बनकर उभरा है।

भौगोलिक संकेतक (GI)

- भौगोलिक संकेतक (GI) एक ऐसा चिह्न है, जिसका उपयोग उन उत्पादों पर किया जाता है जिनकी **विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है तथा जिनकी गुणवत्ता, विशेषताएँ अथवा प्रतिष्ठा उसी भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ी** होती है।
- किसी चिह्न को जीआई के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि वह किसी उत्पाद की उत्पत्ति को किसी विशिष्ट स्थान से जोड़कर प्रदर्शित करे।
- भौगोलिक संकेतकों का उपयोग सामान्यतः **कृषि उत्पादों, खाद्य पदार्थों, वाइन एवं मदिरा, हस्तशिल्प तथा औद्योगिक उत्पादों** के लिए किया जाता है।
- **पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग चाय भारत का पहला उत्पाद** था, जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ।

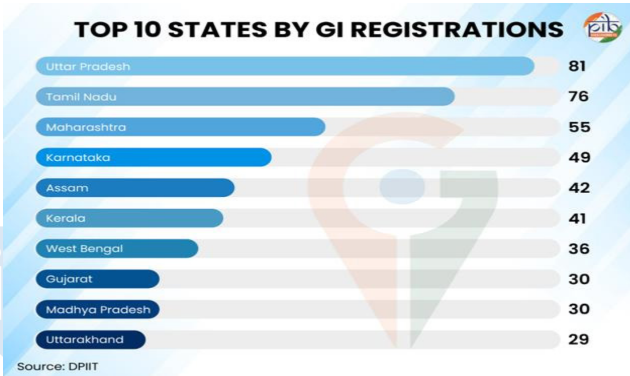

GI उत्पादों का महत्त्व

- GI टैग हस्तशिल्प एवं पारंपरिक उत्पादों की प्रामाणिकता की मुहर के रूप में कार्य करता है तथा उन्हें नकल, दुरुपयोग एवं अनधिकृत व्यावसायीकरण से संरक्षण प्रदान करता है।

क्या GI टैग निरस्त किया जा सकता है?

नम्न्दि परस्थितियों में GI पंजीकरण को नरिस्त या रद्द कयिा जा सकता है—

- यदि यह **धोखाधड़ी या मिथ्या प्रस्तुतीकरण** के माध्यम से प्राप्त किया गया हो।

- यदि यह अपने **मूल देश में अब संरक्षित न हो** अथवा उसका उपयोग बंद हो गया हो।
- यदि इसका उपयोग उपभोक्ताओं को **भ्रमित करने वाला** हो, किसी **प्रचलित कानून का उल्लंघन** करता हो अथवा इसमें **अश्लील, आपत्तिजनक या अभद्र सामग्री** सम्मिलित हो।

GI से बाहर रखे गए उत्पाद: किनका पंजीकरण नहीं किया जा सकता?

- ऐसे सामान्य (Generic) उत्पाद नाम, जिन्हें उनके **मूल देश में अब संरक्षण प्राप्त नहीं** है।
- ऐसे संकेत, जो **उपभोक्ताओं को भ्रमित** करें अथवा किसी अन्य भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित होने का गलत संकेत दें।
- ऐसे संकेत, जो **धार्मिक भावनाओं को आहत** करें अथवा जिनमें **अश्लील, आपत्तिजनक या अभद्र** सामग्री हो।
- ऐसे संकेत, जिन्हें कानूनी संरक्षण प्राप्त करने की पात्रता न हो अथवा जो किसी **प्रचलित कानून का उल्लंघन करते हों**।

GI का विनियमन

- बौद्धिक संपदा के एक रूप के रूप में जीआई को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर औद्योगिक संपदा के संरक्षण हेतु **पेरिस अभिसमय तथा विश्व व्यापार संगठन (WTO) के व्यापार-संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार (TRIPS) समझौते** के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है।
- भारत में जीआई का पंजीकरण एवं संरक्षण भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा **भौगोलिक संकेतक वस्तु (पंजीकरण एवं संरक्षण) अधिनियम, 1999 के अंतर्गत** किया जाता है।
- भारत ने विशिष्ट क्षेत्रों से जुड़े उत्पादों के संरक्षण हेतु **भौगोलिक संकेतक वस्तु (पंजीकरण एवं संरक्षण) अधिनियम, 1999 तथा इसके अंतर्गत अधिसूचित भौगोलिक संकेतक वस्तु (पंजीकरण एवं संरक्षण) नियम, 2002** के माध्यम से कानूनी ढाँचा स्थापित किया।
- यह व्यवस्था **2003 में प्रभावी हुई** तथा **2004–05 से जीआई पंजीकरण प्रारंभ** हुआ।
- किसी भौगोलिक संकेतक (GI) का पंजीकरण **10 वर्ष** की अवधि के लिए वैध होता है।
- **भौगोलिक संकेतक वस्तु (पंजीकरण एवं संरक्षण) नियम, 2002 में 2025 में संशोधन** किया गया।

स्रोत: PIB

संक्षिप्त समाचार

सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026

सन्दर्भ

- लोकसभा ने **सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026** पारित कर दिया है।

परिचय

- **उद्देश्य: सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956 में संशोधन** कर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को **वर्तमान 33 से बढ़ाकर 37 (भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर)** करना।
- इसी वर्ष राष्ट्रपति ने **सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने के लिए एक अध्यादेश** जारी किया था।
- यह विधेयक सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए तथा न्यायिक प्रणाली को अधिक दक्ष एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से लाया गया है।
- यह कदम न्यायिक क्षमता को और सुदृढ़ करेगा, मामलों के प्रभावी एवं त्वरित निस्तारण में सहायता करेगा तथा नागरिकों को समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध होगा।

संवैधानिक प्रावधान

- संविधान का **अनुच्छेद 124(1)** संसद को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने तथा उसे बढ़ाने का अधिकार प्रदान करता है।
- संविधान में मूल रूप से भारत के **मुख्य न्यायाधीश तथा अधिकतम सात अन्य न्यायाधीशों का प्रावधान** किया गया था, जिससे भविष्य में आवश्यकता के अनुसार संख्या बढ़ाने का लचीलापन बना रहे।
- यह संवैधानिक व्यवस्था बदलती सामाजिक-आर्थिक एवं विधिक आवश्यकताओं के अनुरूप न्यायिक क्षमता को अनुकूलित करने की आवश्यकता को दर्शाती है।

सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश संख्या का विकास

- **सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956** के तहत प्रारम्भ में भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर **10 न्यायाधीशों की संख्या** निर्धारित की गई थी।
- वर्ष **1960 के संशोधन** द्वारा संख्या बढ़ाकर **13 तथा 1977 के संशोधन द्वारा 17** कर दी गई।

- इसके बाद विभिन्न संशोधनों के माध्यम से न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की गई और **2019 के संशोधन द्वारा इसे बढ़ाकर 33 (भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर) किया** गया।

स्रोत: AIR

दिल्ली लक्ष्मी योजना

सन्दर्भ

- **दिल्ली लक्ष्मी योजना** के लिए **ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल पंजीकरण** हेतु खोल दिया गया है।

परिचय

- इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को प्रति माह **2,500 रुपये की वित्तीय सहायता** प्रदान की जाएगी। योजना के तहत लाभार्थियों को दो वित्तीय विकल्प दिए गए हैं।
- **पहला विकल्प:** प्रत्येक माह **₹1,000 केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) वॉलेट में दैनिक खर्चों के लिए जमा** किए जाएंगे, जबकि **शेष ₹1,500 आवर्ती जमा (RD) अथवा सावधि जमा (FD) खाते में जमा** किए जाएंगे।
- **दूसरा विकल्प:** पूरी **₹2,500** की मासिक सहायता राशि **RD अथवा FD खाते में जमा** की जा सकती है, जिससे **लाभार्थी ब्याज सहित दीर्घकालिक बचत** कर सकें।
- **21 से 60 वर्ष आयु** की वे महिलाएँ आवेदन करने की पात्र होंगी, जिनके परिवार की **वार्षिक आय ₹2.50 लाख तक** है।
- आवेदिका अथवा उसके माता-पिता या पति का **कम-से-कम 10 वर्षों से दिल्ली का निवासी** होना आवश्यक है तथा लाभार्थी का राष्ट्रीय राजधानी में पंजीकृत मतदाता होना अनिवार्य है।

स्रोत: AIR

ग्लॉ झील भारत का 101वाँ रामसर स्थल बनी

सन्दर्भ

- **अरुणाचल प्रदेश की ग्लॉ झील** भारत की एक और आर्द्रभूमि के रूप में संरक्षित आर्द्रभूमियों की वैश्विक सूची में रामसर स्थल के रूप में शामिल हो गई है।

परिचय

- यह **देश का 101वाँ रामसर स्थल** तथा अरुणाचल प्रदेश का इस **प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाला पहला स्थल** है, जिससे इसके अतिरिक्त संरक्षण एवं संवर्धन को बढ़ावा मिलेगा।
- कामलांग टाइगर रिजर्व एवं वन्यजीव **अभयारण्य** के भीतर स्थित **ग्लॉ झील पूर्वी हिमालय की एक स्वच्छ मीठे जल की झील** तथा **जैव विविधता का प्रमुख केंद्र** है।
- ग्लॉ झील आर्द्रभूमि तथा इसके **जलग्रहण क्षेत्र में 150 से अधिक वृक्ष प्रजातियाँ** और **49 ऑर्किड प्रजातियाँ** दर्ज की गई हैं, जो इसके पारिस्थितिक महत्त्व तथा आसपास के परिदृश्य को रेखांकित करती हैं।

रामसर अभिसमय क्या है?

- **रामसर स्थल** वह आर्द्रभूमि है जिसे रामसर अभिसमय के अंतर्गत **अंतरराष्ट्रीय महत्त्व की आर्द्रभूमि** के रूप में नामित किया जाता है।
- रामसर अभिसमय अंतरराष्ट्रीय महत्त्व की आर्द्रभूमियों की पारिस्थितिक विशेषताओं के संरक्षण के लिए सदस्य देशों के बीच हस्ताक्षरित **सबसे पुराने अंतर-सरकारी समझौतों में से एक** है।
- इस पर **2 फ़रवरी, 1971** को **ईरान के रामसर नगर** में हस्ताक्षर किए गए थे और यह **1975 में** प्रभावी हुआ।
- **भारत 1982 में रामसर अभिसमय का हस्ताक्षरकर्ता** बना।

स्रोत: AIR

भारत ने लगभग सार्वभौमिक बैंकिंग कवरेज प्राप्त किया

सन्दर्भ

- जन धन दर्शक (JDD) ऐप पर बैंकों द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़ों के अनुसार, भारत के **99.92%** आबाद गाँवों के 5 किलोमीटर के दायरे में अब एक बैंकिंग सेवा केंद्र (बैंक शाखा/ व्यवसाय संवाददाता/इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB)) उपलब्ध है।

सरकार द्वारा की गई पहल

- **भारतीय रिज़र्व बैंक** (**RBI**) ने **वाणिज्यिक बैंकों, लघु वित्त बैंकों, भुगतान बैंकों, स्थानीय क्षेत्र बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों** को **बिना पूर्व अनुमति** के भारत में कहीं भी **बैंक शाखाएँ खोलने की अनुमति** दी है, बशर्ते कि **25% शाखाएँ बैंकिंग सुविधा से वंचित ग्रामीण क्षेत्रों में** खोली जाएँ।
- राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियाँ (**SLBCs**) तथा केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय बैंकर्स समितियाँ (**UTLBCs**) निरंतर ऐसे क्षेत्रों

की पहचान करती हैं जहाँ बैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है तथा शाखाओं के विस्तार का समन्वय करती हैं।

साइबर वित्तीय धोखाधड़ी रोकने के उपाय

- सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से **इंडिया डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन (IDPIC)** की स्थापना की है, जो उन्नत प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के साथ वास्तविक समय में धोखाधड़ी संबंधी सूचनाएँ और चेतावनियाँ साझा करता है।
- आरबीआई ने **'म्यूलहंटर (MuleHunter)'** नामक **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित उपकरण** शुरू किया है, जो मनी म्यूल खातों की पहचान करने के लिए विकसित किया गया है तथा इसके उपयोग के लिए बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों को सलाह दी गई है।

कृषि ऋण हेतु डिजिटल पहल

- **जन समर्थ पोर्टल** को **सरकार प्रायोजित ऋण एवं सब्सिडी योजनाओं को एकीकृत** करने वाले **एकल डिजिटल मंच** के रूप में शुरू किया गया है।
- यह आवेदकों के आँकड़ों के **डिजिटल मूल्यांकन के आधार पर ऋण के लिए आवेदन** करने तथा **समय पर स्वीकृति** प्राप्त करने का त्वरित एवं प्रभावी माध्यम प्रदान करता है।
- **कृषक ऋण पोर्टल** (KRP) को **कृषि एवं किसान कल्याण विभाग** द्वारा **सितंबर 2023** में प्रारंभ किया गया, जिससे **आधार-आधारित लाभार्थी सत्यापन तथा किसान क्रेडिट कार्ड** (KCC) के माध्यम से लिए गए ऋणों पर **संशोधित ब्याज अनुदान योजना (MISS)** के अंतर्गत दावों का त्वरित डिजिटल निपटान संभव हुआ है।

स्रोत: PIB

विक्रम साराभाई पदक

सन्दर्भ

- खगोलभौतिक विज्ञानी अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम को **कोस्पार (COSPAR) विक्रम साराभाई पदक – 2026** से सम्मानित किया गया है।

परिचय

- यह अंतरराष्ट्रीय पदक विकासशील देशों के वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है।
- यह पदक **अंतरिक्ष अनुसंधान समिति (COSPAR)**, जो **अंतरराष्ट्रीय विज्ञान परिषद तथा संयुक्त राष्ट्र (UN-COPUOS)** से संबद्ध एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, और **भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO)** द्वारा संयुक्त रूप से प्रदान किया जाता है।
- इस पदक की **स्थापना 1990** में भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन **(ISRO) के संस्थापक विक्रम साराभाई के सम्मान** में की गई थी।

क्या आप जानते हैं?

- अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम यह पदक प्राप्त करने वाली चौथी भारतीय, पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक तथा इस सम्मान को प्राप्त करने वाली तीसरी महिला हैं।
- इस पदक के अन्य **भारतीय प्राप्तकर्ताओं** में इसरो के वैज्ञानिक एवं इसरो की भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के निदेशक अनिल भारद्वाज (2024), भौतिक विज्ञानी गुरबख्श सिंह लखीना (2014) तथा प्रख्यात अंतरिक्ष वैज्ञानिक एवं इसरो के पूर्व अध्यक्ष यू. आर. राव (1996) शामिल हैं।

स्रोत: IE

■■■